अपीलीय अधिकरण कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 11/2024 (वरिष्ठ नागरिक अपील)

1. पप्पू उर्फ अशोक पुत्र स्व॰ श्री लच्छूराम राजोरिया जाति खटीक निवासी मकान नम्बर 201, दुर्भनाथ जी की गवीची के आगे, चमडा मार्केट, मण्डी खटीकान, पुलिस थाना रामगंज, जयपुर।
2. श्रीमती अनीता पत्नी पप्पू उर्फ अशोक जाति खटीक निवासी मकान नम्बर 201, दुर्भनाथ जी की गवीची के आगे, चमडा मार्केट, मण्डी खटीकान, पुलिस थाना रामगंज, जयपुर।

अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक जयपुर ।
2. श्रीमती कस्तूरी देवी पत्नी स्व॰ श्री लच्छूराम राजोरिया जाति खटीक निवासी मकान नम्बर 201, दुर्भनाथ जी की गवीची के आगे, चमडा मार्केट, मण्डी खटीकान, पुलिस थाना रामगंज, जयपुर।

प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिनियम–2007 विरूद्व आदेश दिनांक 19.01.2023 अभिभावकों एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण और कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर प्रकरण संख्या 72/2022 व उनवानी श्रीमती कस्तूरी देवी बनाम राकेश व अन्य

उपस्थितः–
1. अपीलार्थी संख्या 01 उपस्थित है।
2. प्रत्यर्थी संख्या 2 उपस्थित है।

निर्णय **दिनांक 21.05.2024**

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिकरण एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर के प्रकरण संख्या 72/2022 व उनवानी श्रीमती कस्तूरी देवी बनाम राकेश व अन्य में पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 6134/2023 आदेश दिनांक 02.02.2024 की पालना में यह अपील प्रस्तुत की गई है।

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किये गये। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित है। अधीनस्थ अधिकरण से मिसल मातहत तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई।

बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 19.01.2023 पारित करते समय पत्रावली पर उपस्थित साक्ष्य का गहनता से अनुशीलन ना कर सरसरी तौर पर आलौच्य निर्णय व दण्डादेश पारित किया है जो कि निरस्त किये जाने योग्य है। आलौच्य आदेश में अधीनस्थ अधिकरण द्वारा प्रार्थिया के हक एवं स्वामित्व की उक्त वर्णित सम्पत्ति मकान नम्बर 201 दुर्भनाथ जी की बगीची के आगे, चमडा मार्केट, मण्डी खटीकान, जयपुर को खाली कर कब्जा प्रार्थिया को सम्भलाने के आदेश दिये है साथ ही अप्रार्थीगण को पाबन्द किया है कि वे प्रार्थिया के साथ प्रार्थिया के निवास पर आकर उसे किसी भी प्रकार से डराये धमकाये नहीं, लडाई, झगडा, मारपीट व गाली गलौच इत्यादि नहीं करें। प्रार्थिया को उसके स्वामित्व के उक्त वर्णित मकान नम्बर 201 पर प्रार्थिया के शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे और ना ही किसी अन्य व्यक्ति से करवावें । निर्णय की प्रति संबंधित थानाधिकारी को पालना हेतु भिजवाई जावे जिस बाबत विशेष रूप से लेख है कि उक्त सम्पत्ति के अलावा प्रार्थिया के हक अधिकार एवं स्वामित्व की एक अन्य सम्पत्ति वाके स्थित उक्त मकान नम्बर 201 के पीछे स्थित मकान नम्बर 351 दुर्भनाथ जी की बगीची के आगे, चमडा मार्केट, मण्डी खटीकान, पुलिस थाना रामगंज जयपुर पर स्थित है जिसमें 35 कमरे बने हुये है व चार हाल व अलग अलग शौचालय बने हुए है। अपीलार्थी के पिता ने अपने जीवन काल में स्व अर्जित आय से कय की थी जिसे प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी देवी किराये पर देकर प्रति माह लगभग 45 से 50 हजार रूपये की आय अर्जित कर रही है। ऐसी स्थिति में एक ओर तो प्रत्यर्थी परिवादिया श्रीमती कस्तूरी देवी प्रति माह मोटी आय अर्जित कर रही है एवं वही पर उसके पास रिहायश बाबत भी किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं है। लम्बा चौडा परिसर है । इन समस्त तथ्यों से अधीनस्थ अधिकरण को अवगत करवा दिया गया था उसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त समस्त तथ्यों को पूरी तरह से दरकिनार कर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है । प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी ने उक्त सम्पत्ति बाबत एक वसीयत की प्रति पेश की है। जबकि उक्त वसीयत का कोई कानूनी औचित्य नहीं है और मात्र वसीयत का एक ही पेज पेश किया गया है जिस बाबत एफ.एस.एल. करवायी गई। जिसकी जांच रिपोर्ट में भी वसीयतकर्ता के हस्ताक्षर गलत पाये गये है। ऐसी स्थिति मे उक्त वसीयत का कोई कानूनी औचित्य ही नहीं है । इस बाबत समस्त तथ्य पत्रावली पर उपलब्ध होने के बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है जिस कारण भी पारित आदेश पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी देवी की कोई व्यक्तिगत आय नहीं है तथा उक्त वर्णित सम्पत्तियां प्लाट अपीलार्थी

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1 के पिताजी एवं प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी देवी के पति की स्व अर्जित आय से ही क्रय की हुई है । ऐसी स्थिति में उक्त सम्पति पर अपीलार्थी संख्या 2 का भी विधिवत हक व अधिकार है । जिस बाबत भी जरिये जवाब, साक्ष्य, शपथ पत्र एवं दौराने मौखिक बहस अधीनस्थ अधिकरण को अवगत करवा दिया गया था । उसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की जिस कारण भी पारित आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ अधिकरण को इस बाबत भी अवगत करवा दिया गया था कि अपीलार्थी संख्या 1 वर्तमान में बेरोजगार है तथा उसकी आय का कोई स्त्रोत नहीं है तथा अपीलार्थी के साथ उसकी पत्नी व दो नबालिग बच्चे भी उक्त परिसर पर रिहायश कर रहे है तथा उक्त सम्पति के अलावा अपीलार्थीगण के पास रिहायश की कोई अन्यत्र सुविधा उपलब्ध नहीं है । यदि प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी की गलत व मिथ्या आधारों पर उसके द्वारा चाहा गया अनुतोष दे दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में अपीलार्थीगण व उनके बच्चों के समक्ष रिहायश की विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी। इस समस्त तथ्यों के रिकार्ड पर आ जाने के बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है जिस कारण पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी के साथ किसी भी प्रकार की कोई प्रताड़ना व क्रूंरता या अमानवीय आचरण व व्यवहार नहीं किया गया है एवं ना ही प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी ने अधीनस्थ अधिकरण के समक्ष अपीलार्थीगण पर लगाये गये आरोपों की पुष्टि की है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ अधिकरण ने प्रत्यर्थी/परिवादिया श्रीमती कस्तूरी देवी की एक तरफा बातों पर विश्वास कर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है जिस कारण पारित आदेश निरस्तनीय है। अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उक्त समस्त तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य सामग्री पर कतई गौर एवं न्यायिक मनन ना कर उक्त आलौच्य आदेश पारित कर गम्भीर कानूनी भूल की है। इस प्रकार उक्त आलौच्य आदेश में संशोधन किया जाना अति आवश्यक एवं न्यायोचित है। अन्यथा अपीलार्थी व उसके परिजनों के समक्ष विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी एवं साथ ही उसके संवैधानिक अधिकारों पर भी गम्भीर कुठाराघात होगा। आलौच्य आदेश दिनांक 19.01.2023 को अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित किया गया है जिसके पश्चात उक्त अपील माननीय न्यायालय के समक्ष समयावधि में अर्थात दिनांक 19.02.2023 तक पेश की जानी चाहिये थी, परन्तु अपीलार्थी संख्या 1 ने अधीनस्थ अधिकरण के उक्त आलौच्य आदेश के विरूद्व एक एस बी सिविल रिट पीटीशन नम्बर 6134/2023 उनवानी पप्पू उर्फ अशोक बनाम श्रीमती कस्तूरी देवी में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसका निस्तारण करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा दिनाक 02.02.2024 को उक्त अपील खारिज फरमा दी गई। जिसके तहत अपीलार्थी को माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता फरमायी गई जिसके अनुसार उक्त अपील अन्दर मियाद मानते हुए उक्त अपील को अन्दर मियाद प्रस्तुत है । इसके अलावा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रस्तुत है। अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार फरमाई जाकर

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

अधीनस्थ अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.01.2023 को खारिज किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रत्यर्थी ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि अधीनस्थ अधिकरण द्वारा उभय पक्ष को सुनकर प्रस्तुत दस्तावेजात का मनन करने के पश्चात ही आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो उचित एवं विधि सम्मत है । अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

उभय पक्ष की ओर से की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया ।

अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत कर अधीनस्थ अधिकरण के आदेश दिनांक 19.01.2023 जिसके द्वारा अपीलार्थी से मकान नम्बर 201 को खाली करा कर कब्जा प्रार्थिया/प्रत्यर्थी संख्या 2 श्रीमती कस्तूरी देवी को सम्भलाने के आदेश दिये गये है, जिसे अपास्त कराने का अनुतोष चाहा है। माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 23 के तहत सम्पत्ति का अन्तरण शून्य किये जाने के प्रावधान है। इसमें अन्तरण लिखित व मौखिक हो सकता है। इसके अतिरिक्त नियम–2010 की धारा 20 (5) के अनुसार " किसी वरिष्ठ नागरिक के जीवन या सम्पत्ति के किसी खतरे की दशा में जिला मजिस्ट्रेट या सम्यक रूप से प्राधिकृत उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी का ऐसे वरिष्ठ नागरिक के जीवन और सम्पत्ति की संरक्षा करने का कर्तव्य होगा।" अपीलार्थी की वृद्व माता की प्रार्थना पर अधीनस्थ अधिकरण ने आलौच्य आदेश से अपीलार्थी से उक्त मकान खाली करा कब्जा प्रत्यर्थी श्रीमती कस्तूरी देवी को सम्भलाने के आदेश दिये है। जिसमें हम किसी प्रकार की त्रुटि नहीं पाते है। फलस्वरूप अपील खारिज की जाती है।

आदेश की प्रति हस्ब कायदा धारा 16(7) के तहत उभय पक्षकारान को निः शुल्क भेजी जावे। आदेश की प्रति मय मिसल मातहत माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिको का भरण पोषण एवं कल्याण अधिकरण उपखण्ड मजिस्ट्रेट जयपुर शहर उत्तर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

निर्णय आज दिनांक **21.05.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर